

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 144 / 2025

1. अजनीश सिहाग पुत्र विद्याधर जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. तुषार सिहाग पुत्र विद्याधर सिहाग जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. विद्याधर पुत्र हंसराज जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमति सुमित्रा पत्नी विद्याधर जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. गायत्री पुत्री विद्याधर पत्नी जयराम जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. रेणू पुत्री विद्याधर पत्नी विकास जाति जाट निवासी चूनावड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. रविना पुत्री विद्याधर पत्नी विक्रम जाति जाट निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. रोटा पुत्री विद्याधर जाति जाट निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 27/10/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री मदनसिंह बुरडक व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादी सं० 1 अजनीश सिहाग को प्राप्त आराजी - चकन० 6 आर डबल्यू डी के प०न० 230/360 मु० 27 किलानं० 1 ता 5, 7 तां 10/2.277 है० कुल 2.277 है०, प०न० 231/358 मु० 16 किलानं० 1/2/202, 2,3,4/.759 है० 5/0.

228 है० कुल 1.189 है० कुल रकबा 3.4660 है०

ख. वादी सं० 2 तुषार सिहाग को प्राप्त आराजी - चकन० 6 आर. डबल्यू डी. के प०न० 231 / 358 मु० 16 किलानं० 16, 17, 18, 19/1.012 है०, 20/2/202, 21/2/.202, 22 ता 25 /1.012 है० कुल 2.428 है०, प०न० 232/358 मु० 17 किलानं० 18/013,


19/.240, 20,21,22 /.759, 23/126 कुल 1.138 है० कुल रकबा 3.566 है०

ग. प्रतिवादी सं० 1 विद्याधर को प्राप्त आराजी - चकन० 6 आर. डबल्यू डी के प०न० 231/358 मु० 16 किलानं० 6,7,8,9/1.012 है० 10/2/202, 11/2/.202,

12,13,14,15/1.012 है० कुल 2.428 है०, प०न० 232/358 मु० 17 किलानं० 1/.013, 10/.190, 11/.253, 12/089 है० कुल 0.545 है० कुल 2.9730 है० आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चकनं० 6 आर डबल्यू डी के खाता सं० 45/41 मे से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम किया जावे व इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम की जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।